राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 194/2022
GCMS No. 2022/510

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी ओमप्रकाश उम्र 41 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीया

ब–ना–म

1. रामेश्वर पुत्र नाथाराम उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– बाबत उद्‌घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: दिनांक : 19–01–2023

वादिया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 174 में दर्ज खसरा नंबर 1145/89 रकबा 0.0772 है. वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर पुत्र नाथाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि दर्ज है जिसके गत खसरा नंबर 89/3 रकबा 0.0772 है. थे। उक्त आराजियात गत् खसरा नंबर 89/3 रकबा 0.0772 है. भूमि का बेचान प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2013 को वादिया के हक में कर दिया था तथा मौके पर कब्जा संभला दिया था और तब से लेकर आज तक वादिया काबिज रहकर काश्त कर रही है। उक्त आराजियात के गत् खसरा नंबर 89/3 रकबा 0.0772 है. के सेग्रिगेशन के बाद नये खसरा नंबर 1145/89 रकबा 0.0772 है. बने जिस पर वादिया का खरीद करने के समय से ही कब्जा लगातार चला आ रहा है किन्तु वादिया के नाम नामांतरकरण दर्ज नहीं हआ है। इसलिए वादिया को यह दावा घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ है

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

(क) वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि वाके ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 स्थित हाल खाता संख्या 174 में दर्ज खसरा नंबर 1145/89 रकबा 0.0772 है. भूमि का वादिया को मालिक स्वामी काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

(ख) वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि वाके ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित गत खसरा नंबर 89/3 रकबा 0.0772 है. से बने हाल खसरा नंबर 1145/89 रकबा 0.0772

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

है. भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का नाम खातेदारी से हजफ कर वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा वह वाद पत्र में वर्णित वाके ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित गत खसरा नंवर 89/3 रकबा 0.0772 है. से बने हाल ख.नं. 1145/89 रकबा 0.0772 है. भूमि को बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द या हस्तान्तरण नहीं करे तथा वादिया के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैा नहीं करें या दखलंदाजी नहीं करें तथा वादिया के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादिया की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 174 ग्राम बेसरड़ा, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2013 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी ओमप्रकाश (पी.डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वदिया एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नंबर 89/3 रकबा 0.0772 है. सम्पूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये विक्रय पत्र के वादिया के हक में बेचान करदी थी। उक्त विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। वर्तमान सेग्रीगेशन के दौरान भूमि खसरा नंबर 89/3 से 1145/89 निर्मित हुए हैं। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः **ग्राम बेसरड़ा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 174 में दर्ज खसरा नंबर 1145/89 रकबा 0.0772 है. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर पुत्र नाथाराम का नाम हजफ किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

श्रीमती लक्ष्मी देवी

ब–ना–म

रामेश्वर आदि

दावा बाबत **उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **194/2022**

निर्णय दिनांक :– **19–01–2023**

वादिया की ओर से **श्री हेमराज सिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **19–01–2023** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 174 में दर्ज खसरा नंबर 1145/89 रकबा 0.0772 है. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर पुत्र नाथाराम का नाम हजफ किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **19–01–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner